'01/
04

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन शीर्ष MR-3054(old) योजनान्तर्गत आवंटित पथ धमौल से सकरा पथ निर्माण कार्य संवेदक **मेसर्स नाथ कन्स0(निबंधन संख्या–1150229)**, पता–न्यू एरिया, बाईपास चौक, महेश एकेडमी के पीछे, रोड नं0–04, जिला–औरंगाबाद, पिन–824101 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 03.08.2017 एवं वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि 07.01.2019 है।

संवेदक द्वारा पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत संदर्भित पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा का सकारण आदेश ज्ञापांक 308 दिनांक 21.02.2023 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक को कालीकृत किये जाने से पूर्व संवेदक से कारण पृच्छा की गई।

तदालोक में संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 17.06.2025 में उल्लेख किया गया कि संदर्भित पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य किया गया लेकिन उक्त अनुरक्षण कार्य के विरूद्ध उन्हें भुगतान नहीं किया गया।

संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल नवादा का पत्रांक 1457 अनु0 दिनांक 08.07.2025 द्वारा विस्तृत मंतव्य उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया कि पथ निर्माण कार्य किये जाने के विरूद्ध संवेदक को भुगतान किया जा चुका है, परंतु अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण अनुरक्षण मद में कोई भुगतान नहीं किया गया है। कई बार स्मारित करने के बावजूद संवेदक द्वारा संदर्भित पथ में कोई अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित किये गये Geotaged फोटोग्राफ में बड़ा–बड़ा गड़ढा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। कई जगहों पर ब्लैक टॉप का नामो निशान नहीं है तथा पथ की स्थिति जर्जर है। इससे स्पष्ट है कि पथ के क्षतिग्रस्त हिस्से, पॉट होल्स, क्रैक्स आदि की मरम्मति/अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है। संवेदक का उक्त कृत्य एकरारनामा की शर्त्तों का उल्लंघन है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक **मेसर्स नाथ कन्स0(निबंधन संख्या–1150229)**, पता–न्यू एरिया, बाईपास चौक, महेश एकेडमी के पीछे, रोड नं0–04, जिला–औरंगाबाद, पिन–824101 को कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन शीर्ष MR-3054(old) योजनान्तर्गत आवंटित पथ धमौल से सकरा पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराने के संबंधी प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के तहत 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

30/7/25

(मो0 सुल्तान अहमद)
अभियंता प्रमुख

P.T.O

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–22/2025 8348 /पटना, दिनांकः– 1.8.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–22/2025 8348 /पटना, दिनांकः– 1.8.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–22/2025 8348 /पटना, दिनांकः– 1.8.25

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–22/2025 8348 /पटना, दिनांकः– 1.8.25

निबंधित/ईमेल

प्रतिलिपिः– संवेदक **मेसर्स नाथ कन्स0(निबंधन संख्या–1150229)**, पता–न्यू एरिया, बाईपास चौक, महेश एकेडमी के पीछे, रोड नं0–04, जिला–औरंगाबाद, पिन–824101, मो0 9162559942 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख